

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/व.उ.वि./2024/डी-701

दिनांक 21/12/24

निविदा संशोधन सूचना (Corrigendum)

1. इस प्रकोष्ठ द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 39 से 40/2024-25 द्वारा दिनांक 02.12.2024 में अतिरिक्त शर्त संख्या 1 "राइजिंग राजस्थान सम्मिट 2024 के आयोजन के दौरान सफल बोलीदाता को वरिष्ठ उद्यानविज्ञ/जोन प्रभारी द्वारा मौखिक निर्देशानुसार आदेशित सामग्री एवं संकर्म दो दिवस एवं आयोजन पश्चात कार्यादेश की कार्य अवधि के दौरान आदेशित सामग्री एवं संकर्म को पांच दिवस में उपलब्ध कराना होगा। उक्तानुसार यदि सफल बोलीदाता आपूर्ति एवं संकर्म में विफल रहता है तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं अधिनियम 2012 के प्रावधानानुसार विवर्जन की कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये स्वयं बोलीदाता उत्तरदायी होगा।" के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे - "राइजिंग राजस्थान सम्मिट 2024 के आयोजन के दौरान सफल बोलीदाता को वरिष्ठ उद्यानविज्ञ/जोन प्रभारी द्वारा मौखिक निर्देशानुसार आदेशित सामग्री एवं संकर्म दो दिवस एवं आयोजन पश्चात कार्यादेश की कार्य अवधि के दौरान आदेशित सामग्री एवं संकर्म को पंद्रह दिवस में उपलब्ध कराना होगा। उक्तानुसार यदि सफल बोलीदाता आपूर्ति एवं संकर्म में विफल रहता है तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं अधिनियम 2012 के प्रावधानानुसार विवर्जन की कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये स्वयं बोलीदाता उत्तरदायी होगा।"
2. शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

वरिष्ठ उद्यानविज्ञ
जविप्रा, जयपुर